सं0-31/2015/4014/62-2-2014-2/3(09)/2014टीसी

सेवा में,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 12 फरवरी,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोजित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-600/ल0सिं0/बजट-आयोजने0पुन0/2014-15, दिनांक 20-10-2014 एवं पत्र सं0-600/ल0सिं0/बजट-आयोजने0पुन0/2014-15, दिनांक 16-12-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-03-मंहगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि `&10567.34 लाख के सापेक्ष बचत की धनराशि `&2923.57 लाख में से धनराशि `&30.00 लाख (रूपया तीस लाख मात्र), जो लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9) संक्रमित की गयी है, को स्वीकृत कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक **"2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान"** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014,दिनांक 22-7-2014 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-31/2015/4014(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन। (03 प्रतियों में)
5- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।